"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अप्रैल 2017 — चैत्र 11, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-08/आठ-परि./2017. — छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 202 के उप-नियम (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, क्रमश: सरल क्रमांक 1, 2 एवं 3 में यथा उल्लिखित सेवा प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट करती है, जिसे निजी क्षेत्र से निवेश द्वारा विकसित की जा रही जांच चौकियों, जैसा कि सरल क्रमांक 5 में उल्लिखित है, पर वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र या अनन्तिम पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के दिनांक से प्रति फेरा प्रति यान के आधार पर वहन किया जायेगा, अर्थात् :-

1. **डाटा एंट्री तथा तौलने के लिए सेवा प्रभार-**

स. क्र. (1)	यान का प्रकार (2)	राशि (रुपयों में) (प्रति फेरा प्रति यान) (3)
1.	हल्के वाणिज्यिक यान (एलसीव्ही)	40.00
2.	दो एक्सल/समतुल्य ट्रक (एमसीव्ही)	70.00
3.	बहु एक्सल/समतुल्य ट्रक (एचसीव्ही)	150.00

टीप :- उपरोक्त दरों में, प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होगी तथा सेवा प्रभार की गणना, उपरोक्त दरों तथा वर्ष की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसे पांच रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जायेगा. यह वृद्धि, प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी तथा प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी.

2. **लादने/उतारने के लिए प्रभार** - माल लादने/उतारने के लिए प्रभार, रुपये 320/- प्रति टन होगा, जिसमें प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होगी. सेवा प्रभार की गणना, उपरोक्त दर तथा वर्ष की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसे दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जायेगा. यह वृद्धि, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी. यह प्रभार केवल उन्हीं यानों से उद्ग्रहित की जायेगी, जो मांग पर लादने तथा उतारने की सेवा का लाभ लेते हों.

3. **पार्किंग प्रभार-**

स. क्र.	पार्किंग की अवधि	प्रभार (रु. में)	
		हल्के वाणिज्यिक यान	ट्रक/बहु एक्सल/अत्यधिक बड़े आकार के यान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम छ: घंटे	निरंक	निरंक
2.	छ: घंटों से 12 घंटा	25.00	40.00
3.	अगले छ: घंटों के स्लैब	65.00	100.00

टीप :- उपरोक्त दरों में, प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि होगी तथा सेवा प्रभार की गणना, उपरोक्त दरों तथा वर्ष की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसे पांच रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जायेगा. यह वृद्धि, प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी तथा प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी.

4. उपरोक्त सेवा प्रभार, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा चयनित निजी निवेशक या विकासकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संग्रहित किए जाएंगे.

5. **सीमा जांच चौकियों की सूची -**

स. क्र.	सड़कों के ब्यौरे	सन्निर्माण स्थल
(1)	(2)	(3)
1.	नागपुर-रायपुर मार्ग	पाटेकोहरा
2.	रायपुर-संबलपुर मार्ग	खम्हारपाली
3.	रायपुर-जबलपुर मार्ग	चिल्फी
4.	अंबिकापुर-वाराणसी मार्ग	धनवार

No. F-5-08/VIII/Trans./2017. — In exercise of the powers conferred by sub-rule (11) of rule 202 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government, hereby, specifies the rates of service charges as mentioned in serial number 1, 2 and 3 respectively, which shall be borne by the vehicle owner or driver on the check posts, which are being developed by investment from private sector, as mentioned in serial number 5 on a per trip per vehicle basis with effect from the date of issuance of Completion Certificate or Provisional Completion Certificate, as the case may be, to be issued by the Chhattisgarh Road Development Corporation, namely :-

1. **Service charges for Data Entry and Weighing -**

S. No.	Category of Vehicle	Amount (in Rs.) (Per trip per vehicle)
(1)	(2)	(3)
1.	Light Commercial Vehicle (LCV)	40.00
2.	Two Axle/Equivalent Truck (MCV)	70.00
3.	Multi Axle/Equivalent Truck (HCV)	150.00

Note :- The above rates shall increase at the rate of 5% per annum and service charges shall be calculated on the basis of above rates and number of years, which shall be rounded off to the nearest five rupeees. This increase shall be made effective from 1st April of every year and the first increase will be effective from 1 April, 2017.

2. Loading/Unloading Charges- Charges for Loading/Unloading of goods shall be Rs. 320/- per tonne, which shall be increased at the rate of 5% per annum. Service charge shall be calculated on the basis of above rate and number of years, which shall be rounded off to the nearest ten rupees. This increase shall be made effective from 1st April of every year. The first increase shall be effective from 1st April, 2017. This charge is to be levied only on such vehicles, which avail the sevices of loading and unloading on demand.

3. **Parking Charges -**

S. No.	Parking duration	Charges (in Rs.)	
		Light Commercial Vehicle	Truck/Multi Axle/ Oversized Vehicle
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	First Six hours	Nil	Nil
2.	Six to twelve hours	25.00	40.00
3.	Next slabs of Six hours	65.00	100.00

Note :- The above rates shall increase at the rate of 5% per annum and service charges shall be calculated on the basis of above rates and number of years, which shall be rounded off to the nearest five rupeees. This increase shall be made effective from 1st April of every year and the first increase will be effective from 1 April, 2017.

4. The above service charges shall be collected by authorized representative of private investor or developer selected by the Chhattisgarh Road Development Corporation.

5. **List of Border Check Posts -**

S. No. (1)	Detail of Roads (2)	Construction Site (3)
1.	Nagpur-Raipur Road	Patekohra
2.	Raipur-Sambalpur Road	Khamharpali
3.	Raipur-Jabalpur Road	Chilfi
4.	Ambikapur-Varanasi Road	Dhanwar

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.